UPRB010016292026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी–(अमित कुमार पाण्डेय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP06246
जमानत प्रार्थनापत्र सं०–660/2026

भारतलाल पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम तम्बरपुर, थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उ० प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), रायबरेली।

.....**विपक्षी**

मु० अपराध सं०–28/2019
धारा– 138 बी० विद्युत अधिनियम
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली।

<u>जमानत आदेश</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त भारतलाल की ओर से मुकदमा अपराध सं०–28/2019 धारा–138 बी विद्युत अधिनियम थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2019 को समय 10.25 बजे वादी मुकदमा अवर अभियन्ता भुएमऊ श्री विनोद कुमार सिंह मय हमराह टी०जी०–2 श्री नीरज कुमार, संविदाकर्मी श्री अशोक कुमार, संविदा कर्मी श्री सुनील कुमार, संविदाकर्मी अजय कुमार के साथ विद्युत चेकिंग/जाँच एवं राजस्व वृद्धि हेतु क्षेत्र में मामूर थे दौरान चेकिंग पूर्व में बकाये पर कटे संयोजन चेक किये गये, जो बिना भुगतान किये पुनः अवैध रूप से जोड़ कर चलाते हुए पाये गये।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष व्यक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य असत्य एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट असत्य एवं मनगढ़ंत है और प्रार्थी जमानत पाने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा न कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में, न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4– विद्वान ए०डी जी०सी० के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किय गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाये पर कटे संयोजन चेक किये जो बिना भुगतान किये पुनः अवैध रूप से संयोजन जोड़ कर चलाते पाये गये। विद्युत विभाग द्वारा पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा मेरे द्वारा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त भारतलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०–660 /2026 ,मुकदमा अपराध सं०–28/2019 धारा–138 बी विद्युत अधिनियम थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(अमित कुमार पाण्डे)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (इ.सी.एक्ट)
रायबरेली।

दिनांकः11.03.2026

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.03.12 09:30:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli